

// विज्ञापित-द्वितीय //

गवालिअर विकास प्राधिकरण की शताब्दीपुरम फेज-2 डब्ल्यू ब्लॉक अन्तर्गत कमजोर आय वर्ग के लिये आवासीय भूखण्ड के पंजीयन हेतु नवीन दरों पर निम्नलिखित तालिका अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं -

| क्र. | ईकाई का विवरण | क्षेत्रफल वर्ग मी. में | आरक्षण का वर्ग तथा आरक्षित किये गये ईकाइयों की संख्या | नियत मूल्य वर्ष 2019-20 कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार | रजिस्ट्रीकरण प्रभार | वार्षिक पट्टा भाड़ा | |
|------|---|------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | ई.डब्ल्यू.एस. (कमजोर आय वर्ग) भूखण्ड (आवासीय) | 4x10 | अनुसूचित जनजाति | 30 | 3,20,000 / — | यथानियम | यथानियम |
| | | | अनुसूचित जनजाति महिला | 05 | | | |
| | | | स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी / लोकतंत्र सैनानियों या उनके जीवित न होने की दशा में पत्नी /पति के लिए | 08 | | | |
| | | | पत्रकार रिपोर्टर के लिए | 04 | | | |

उपरोक्त सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रपत्र **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया, जीडीए परिसर**, गवालिअर की शाखा से विहित राशि रूपये 1000/- एवं जी.एस.टी. शुल्क रु. 180/- का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक /नगद राशि जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा प्रपत्र को ऑनलाईन द्वारा प्राधिकरण की बेबसाईट www.gdagwalior.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। जिसका रु. 1180/- का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रपत्र के साथ पृथक से देय होगा। उपरोक्त रजिस्ट्रीकरण की तारीख **19-02-2021** से **06-03-2021** को **अपरान्ह 4:00 बजे** तक निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रीकरण हेतु निबंधन तथा शर्तें, प्रपत्र में दर्शाई गई हैं, तथा प्राधिकरण की बेबसाईट पर भी अवलोकन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरांत पात्र होने पर एवं संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी पद्धति द्वारा दिनांक **16-03-2021** को किया जावेगा।

नोट:-

- 1- पंजीयन /आवंटन होने के पश्चात् 10 वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा तथा वे ही हितग्राही पात्र होंगे, जिन्हें इस वर्ग का भूखण्ड पूर्व में आवंटित नहीं किया गया हो।
- 2- पंजीयन राशि नियत मूल्य का 10 प्रतिशत डी.डी./बैंकर्स चेक द्वारा जोकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी गवालिअर विकास प्राधिकरण (C.E.O., G.D.A. Gwalior)के नाम देय होगा, आवेदन के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।
- 3- आवेदनकर्ता पर शासन के व्ययन नियम 2018 एवं समय-समय पर जारी आदेश व प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय प्रभावशील रहेंगे।
- 4- आवेदनकर्ता आवेदन से पूर्व स्थल पर अवलोकन कर सकते हैं, बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 5- भूखण्ड की कीमत का सम्पूर्ण भुगतान आवेदनकर्ता को विक्रय विलेख से पूर्व जमा करना होगा।
- 6- भूखण्ड की प्रीमियम की किशतों पर अधिरोपित ब्याज के अतिरिक्त लीजरेंट, संधारण आदि पर नियमानुसार G.S.T. शुल्क देय होगी।
- 7- **ई.डब्ल्यू.एस.भूखण्ड हेतु आय प्रमाण पत्र जो रु. 3.00 लाख से अधिक न हो**, का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वह प्रस्तुत करना होगा।
- 8- आरक्षण वर्ग हेतु आवेदन करने पर मूल प्रमाण पत्र सत्यापित छायाप्रति आवेदन के संलग्न करना आवश्यक है, संलग्न न होने पर आवेदन अस्वीकार होगा।
- 9- भूखण्ड क्रमांक का आवंटन सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् लॉटरी द्वारा किया जावेगा। इस हेतु हितग्राही उपस्थित रहे सकते हैं।
- 10- भूखण्ड कॉर्नर आवंटित होने पर कुल कीमत का 10 प्रतिशत एवं कॉर्नर व पार्क दोनों होने पर कुल कीमत का 15 प्रतिशत पृथक से देय होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गवालिअर विकास प्राधिकरण
गवालिअर

- 1- निज सचिव मान. अध्यक्ष ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 2- निज सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 3- लेखा अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर सूचनार्थ ।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी ग्वा.वि.प्रा. की ओर व्ययन नियम-2018 अनुसार निविदा प्रकाशन एवं उपरोक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर समस्त अभिलेख के साथ अपलोड करने हेतु
- 5- साईट इंचार्ज **शताब्दीपुरम फेज-2** योजना की ओर सूचनार्थ ।
- 6- कार्यालय कमिश्नर ग्वालियर / कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर / कार्यालय कमिश्नर नगर निगम / तहसीलदार, तहसील कार्यालय ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि निविदा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने की कृपा करें।
- 7- कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8- शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जीडीए परिसर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 9- श्री भास्कर राव काले, प्रभारी मानचित्रकार की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त विज्ञापन प्राधिकरण की वेवसाईट पर अपलोड कराकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर

प्ररूप-ट
(नियम 8 (2) (छह) देखिए)

आवेदन क्रमांक
श्रेणी

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :

1. विधिवत रूप से भरा गया आवेदन पत्र
2. छायाचित्र (फोटोग्राफ)
3. शपथ-पत्र
4. आय- प्रमाण पत्र
5. आरक्षण के संबंध में प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
6. आधार कार्ड की सत्य प्रतिलिपि

ग्वालियर विकास प्राधिकरण ग्वालियर

शताब्दीपुरम फेज-2, डब्ल्यूब्लॉक के अन्तर्गत कमजोर आय वर्ग के लिये भूखण्डों के आवंटन हेतु आवेदन प्ररूप

विज्ञापन क्रमांक **13866**

दिनांक 18-02-2021

आवेदन प्रपत्र क्रमांक

मूल्य 1000/- एवं जी.एस.टी. शुल्क रु. 180/-
अहस्तान्तरणीय

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर विकास प्राधिकरण
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

आवेदक का नाम

आवेदक का पासपोर्ट
आकार स्व हस्ताक्षरित
छायाचित्र यहां
चिपकाया जाए

महोदय,

निवेदन है कि मैं विज्ञापन क्रमांक **13866** दिनांक 18-02-2021 के आधार पर मुझे पट्टे पर निम्नलिखित भूखण्ड/ईकाई आवंटित करने का कष्ट करें। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार भर कर प्रस्तुत की जा रही है :-

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. आवेदक की आयु :
4. पूरा पता :
- दूरभाष/मोबाईल :- (कार्यालय) (निवास)
5. कुल मासिक आय : रूपए.....
6. यदि नियोजित हो, तो नियोजक का नाम :
7. सेवा की अवधि :
8. यदि निजी व्यवसाय :
- में हैं, तो उसका ब्यौरा दूरभाष क्र. निवास (कार्यालय)
मो.नं.
9. निबंधन तथा शर्तों में यथा उल्लेखित :
- शपथ पत्र संलग्न है
10. आवेदन-प्ररूप डाउनलोड करने की दशा में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्र. दिनांक
..... बैंक का नाम रकम रुपये

11. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन प्ररूप स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं भूखण्ड/इकाई की बकाया प्रीमियम का भुगतान निर्धारित समय पर जमा कर दूंगा/दूंगी तथा वार्षिक पट्टा भाटक भुगतान तारीख को नियमित तथा समय अनुसार जमा कर दूंगा/दूंगी।
12. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि मैं शासन तथा प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर बनाए गए नियमों/विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी।
13. मैंने प्राधिकरण के भूखण्ड/इकाई के आवंटन से संबंधित निबंधन, शर्तों तथा नियमों को समझ लिया है तथा ये मुझे स्वीकार्य हैं।
14. यदि आवेदन प्ररूप के अन्तर्गत दी गई कोई जानकारी की दशा में त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो प्राधिकरण को मेरे आवेदन प्रपत्र को निरस्त करने तथा जमा की गई पंजीयन राशि का समपहृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संलग्नकों :-

1. पंजीयन प्रभारों हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांकतारीख
रूपये
2. निबंधन तथा शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।
3. शपथ-पत्र
4. आय प्रमाण -पत्र (यदि आवश्यक हो)
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर

नियत दर पर सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबंधन तथा शर्तें

एक, सामान्य शर्तें,

1. व्ययन के लिए उपलब्ध सम्पत्तियों (आस्तियों) से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर भूखण्डों/इकाइयों को लाटरी के आहरण अनुसार आवंटित किया जाएगा।
2. सम्पत्ति के आवंटन हेतु आवेदक को अपना आवेदन प्ररूप विहित प्ररूप में प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्ररूप विज्ञापन में उल्लेखित कालावधि में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
3. विज्ञापन के अधीन भूखण्डों/इकाइयों की संख्याओं का आवंटन आहरण द्वारा किया जाएगा।
4. यदि कोई आवेदक, के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा, में उसे इस संबंध में प्राधिकरण को लिखित में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
5. यदि कोई आवेदक, अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन विहित अंतिम तारीख से पूर्व अपना आवेदन वापस ले लेता है तो आवेदक द्वारा जमा की गई राशि में से दस प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् शेष राशि लौटा दी जाएगी। लाटरी का आहरण किए जाने के पश्चात् सम्पत्ति का आवंटन हो जाने पर, आवेदन के साथ मांगी गई जमा रकम पुनः वापस नहीं की जाएगी तथा जमा की गई राशि को समपहृत कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. **प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**
7. पंजीयन /आवंटन होने के पश्चात् 10 वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा तथा वे ही हितग्राही पात्र होंगे जिन्हें इस वर्ग का भूखण्ड पूर्व में आवंटित नहीं किया गया हो।

दो भुगतान की शर्तें

1. आवेदक, आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् मांग पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर कुल उद्धरित प्रीमियम की प्रतिशत रकम (प्रतिभूति रकम के समायोजन उपरान्त) जमा करना होगा।
2. आवेदक, आवेदन आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् मांग पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर एक वर्ष की अवधि का अग्रिम पट्टा भाटक तथा अनुबंध-पत्र की एक प्रति जिसमें आवंटन की निबंधन तथा शर्तें शामिल होंगी, लागू दरों, के अनुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प जमा करना होगा।
3. आवेदक द्वारा कुल अधिमूल्य की सम्पूर्ण रकम तथा एक वर्ष का अग्रिम पट्टा भाटक जमा करने तथा अनुबंध पत्र की प्रति प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
4. ऐसी दशा में, विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपरोक्त भुगतान जमा करने में आवेदक असफल रहता है, तो वहां प्राधिकरण आवंटन को रद्द तथा बोली प्रतिभूमि रकम को समपहृत कर सकेगा (जब तक कि प्राधिकरण के विनियमों के अनुसार लिखित रूप में प्राधिकरण द्वारा अवधि में वृद्धि नहीं की गई हो)।
5. पट्टाधारी अथवा हस्तांतरिती सरकार, नगर पालिक अभिकरण अथवा अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा उदग्रहीत समस्त करों/शुल्कों/अभिकरों/प्रभारों के प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति का आधिपत्य सौंपे जाने संबंधी अधिसूचित की गई तारीख से आधिपत्य को विचार में लिए बिना भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। भले ही आधिपत्य ग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
6. ऐसी सम्पत्ति जो प्राधिकरण द्वारा विकसित अथवा निर्मित की जाने वाली हो, प्रीमियम का भुगतान, आवंटिती द्वारा विकास /निर्माण, के विभिन्न स्तरों के अनुसार नीचे दी गई किशतों में किया जाएगा।

किशतों की अनुसूची

| किशत क्रमांक | किशत की राशि | देय तिथि |
|--------------|--------------|----------|
| | | |

7. प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 02 वर्षों की छूट किशतों के भुगतान हेतु प्रदान की जा सकेगी। ऐसी विस्तारित अवधि के संबंध में, किशत की अवशेष देय राशि पर रेरा में अन्तर्विष्ट प्रावधान के अनुसार ब्याज भी प्रभारित किया जाएगा।
8. विहित अनुसूची के अनुसार किशतों का भुगतान न किए जाने की दशा में उपरोक्त यथा उल्लिखित विस्तारित अवधि की समाप्ति पर आवंटन वापस लिए जाने की सूचना दी जाएगी।

9. यदि आवंटी , आवंटन के वापस लेने के लिए सूचना की प्राप्ति पर विहित अनुसूची के अनुसार समस्त लंबित किश्त मय ब्याज एवं दांडिक ब्याज (संबंधित किश्त की देय तारीख से 5 प्रतिशत) सहित जमा कर देता है, तो प्राधिकारी आवंटन प्रतिसंहण करने के लिए सूचना वापस ले सकेगा।
यदि यह उपरोक्त उल्लिखित खण्ड-9 के अनुसार नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार यदि भुगतान न किए जाने के कारण आवंटन निरस्त किए जाने पर , प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम का 10 प्रीमियम के समकक्ष राशि राजसात कर ली जाएगी तथा शेष प्रीमियम राशि आवंटी को लौटा दी जाएगी। आवंटी को इस प्रत्यर्पण राशि पर ब्याज दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
10. यदि सम्पत्ति का क्षेत्रफल, विज्ञापन में सम्पत्ति के लिए अधिसूचित किये गये क्षेत्रफल से कम पाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम रकम तथा वार्षिक पट्टा भाटका आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
11. यदि किसी विशिष्ट भूमि का पट्टाधारी उसे आवंटित किए गए भूखण्ड से लगी हुई अनुलग्नक भूमि के आवंटन के लिए आवेदन करता है, तो प्राधिकरण अपने स्वविवेकाधिकार तथा निर्णय के अधीन ऐसी अतिरिक्त भूमि का आवंटन की तारीख को प्रचलित मार्गदर्शक दर पर अथवा ऐसी दर पर जिससे पट्टाधारी को पूर्व में धारित भू-खण्ड आवंटित किया गया हो, इनमें से जो भी अधिक हो , आवंटित कर सकेगा।
12. आवंटन किए जाने के पश्चात् यदि प्राधिकरण सम्पत्ति का आधिपत्य किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, आवंटिती को प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा 7 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा की गई रकम वापस की जाएगी।

तीन- पट्टे की सम्पत्ति के लिए निबंधन

1. सम्पत्ति पट्टा आधार पर 30 वर्षों की अवधि के लिये दिया जाएगा (जब तक अन्यथा सरकारी सम्पत्तियों की दशा में, ऐसी सम्पत्तियों के लिये जो प्राधिकरण के अंतर्गत निहित हो या जिनका प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हो तथा जो विशिष्ट रूप से सामान्य/विशेष स्वीकृति के अनुसार अथवा प्राधिकरण की किसी सम्पत्ति के बारे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नियंत्रित की जा रही है) जिनका विस्तार 30 वर्ष की दो अतिरिक्त अवधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके अनुसार प्राधिकरण को वार्षिक भाटक प्रत्येक नवीनीकरण के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत वार्षिक पट्टा भाटक के अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने का अधिकार होगा।
2. सम्पत्ति के लिए वार्षिक पट्टा भाटक **यथानियम** (इस लॉटरी के पश्चात् भरा जाए, सरकार को देय पट्टा भाटक को जोड़ते हुए (जमा) प्राधिकरण को आवंटित सरकारी भूमि पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों का 10 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार अथवा भूमिस्वामी अधिकारों के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि पट्टे पर प्रदान की गई सम्पत्तियों हेतु प्रभारित प्रीमियम राशि का 0.1 प्रतिशत होगी, प्रभारित किया जाएगा।)
3. सम्पत्ति के लिए वार्षिक पट्टा भाटक का अग्रिम रूप से वार्षिक भुगतान तथा प्रति वर्ष एक जून को या इससे पूर्व देय होगा। प्रथम वार्षिक पट्टा भाटक किया जाएगा उस जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा आधिपत्य सौंपे जाने की तिथि अधिसूचित की गई हो , वित्तीय वर्ष एक जून से लागू होगा।
4. जहां पट्टाधारी द्वारा देय वार्षिक पट्टा भाटक नियत तारीख से तीन माह से अधिक की अवधि हेतु लंबित रहता है, वहां प्राधिकरण द्वारा वार्षिक पट्टा भाटक , रकम की वसूली की प्रक्रिया भूराजस्व की बकाया रकम, के रूप में प्रारंभ की जा सकेगी।
5. सम्पत्ति का आधिपत्य जहां है के आधार पर सौंपा जाएगा (जब तक विशेष रूप से उपबंधित न किया हो) तथा प्राधिकरण , भूमि /भूखण्ड की किसी भराई /समतलन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
6. सम्पत्ति का आधिपत्य, प्रीमियम रकम तथा प्रथम वर्ष की अग्रिम वार्षिक पट्टा भाटक राशि का पूर्ण जमा करने के पश्चात् ही सौंपा जाएगा (जब तक कि नियम 13 के अन्तर्गत राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन सहित सम्पत्तियों के आवंटन के लिए विशेष शर्तों में विशिष्ट उपबंध न कर दिया गया हो, जहां प्राधिकरण द्वारा प्रीमियम के भुगतान का अधिकतम 25 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।
7. प्रीमियम की रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाटका की संपूर्ण राशि जमा किये जाने के पश्चात्, प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के वास्तविक आधिपत्य प्रदान करने के प्रयोजन हेतु तारीख तथा समय की अधिसूचना जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति का पट्टा उक्त अधिसूचित तारीख से तथ्य पर विचार किए बिना प्रारंभ हो जाएगा , चाहे आवंटिती द्वारा सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया हो अथवा नहीं।
8. प्रीमियम की रकम तथा प्रथम वर्ष हेतु अग्रिम पट्टा भाटक की सम्पूर्ण राशि जमा किए जाने के पश्चात् , प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशन पत्र के अनुसार आवंटिती द्वारा पट्टा विलेख /दस्तावेज तैयार किया जाएगा तथा इन्हें प्राधिकरण के सम्पदा अधिकारी के समक्ष उसके हस्ताक्षर हेतु

प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से तीन माह के भीतर पट्टाधारी को अनिवार्यतः रजिस्ट्रार के कार्यालय से पट्टे को रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। पट्टाधारी को पट्टा अभिलेख के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित समस्त व्ययों का वहन करने हेतु उत्तरदायी होगा। पट्टाधारी पट्टे के रजिस्ट्रीकरण से तीस दिन के भीतर पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रति भी प्राधिकरण के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

9. पट्टाधारक, पट्टे की शर्तों के अधीन, किसी अन्य व्यक्ति को सम्पत्ति का अंतरण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अंतरण शुल्क जमा करने के पश्चात् कर सकेगा और उसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्तर शुल्क जमा करनी होगी जो अन्तरण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन की तारीख को प्रचलित मार्गदर्शक दर के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जहां अंतरण उत्तराधिकार के नैसर्गिक न्यायगमन के अनुक्रम में चाहा गया हो, वहां कोई अंतरण शुल्क देय नहीं होगा।
10. पट्टाधारी, पट्टा विलेख के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त कर भूखण्ड पर निर्माण कार्य के प्रयोजन हेतु ऋण की प्राप्ति हेतु भूखण्ड को बंधक रखने का अधिकार होगा।
11. पट्टाधारी जो सम्पत्ति के पुनर्माण का इच्छुक है, उसे प्राधिकरण को अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।
12. ऐसे प्रकरण, में जहां पट्टाधारी पट्टा विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन करता हो, वहां प्राधिकरण द्वारा सम्पत्ति के पट्टे को रद्द किया जा सकेगा। पट्टे के रद्दीकरण पर प्राधिकरण को सम्पत्ति में पुनः प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

चार— आवंटित सम्पत्तियों के लिए विकास तथा भवन विनियम

1. आवंटित की गई सम्पत्ति के अभिहित उपयोग में किसी परिवर्तन को अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।
2. पट्टाधारी को आवंटित भूमि पर नगर निवेश विभाग से नियोजन अनुमति (जहां नियोजन अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो), तथा ग्वालियर नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद द्वारा प्रदान की गई भवन नक्शे की स्वीकृति अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्माण प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। भूखण्ड पर किया गया कोई भी निर्माण कार्य, जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हो, अनाधिकृत कार्य माना जाएगा तथा ऐसे कृत्य को पट्टे की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर, तदनुसार संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की पहल की जाएगी।
3. यदि किसी प्रकरण में सम्पत्ति का उपयोग उसके उक्त सम्पत्ति के अभिहित उपयोग से अन्य कोई उपयोग किया जाता है और /या कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन कर अथवा स्वीकृत नक्शों के बगैर ही सम्पन्न किया जाता है तो प्राधिकरण को आवंटन /पट्टा रद्द करने का अधिकार होगा। ऐसी परिस्थितियों में, पट्टाधारी को किसी कानूनी अथवा कोई अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा उस पर अधिरोपित किसी अर्थदण्ड का भुगतान भी करना होगा।
4. पट्टाधारी, सेवा संबंधी आवश्यक अनुमतियों को प्राप्त करने तथा संबंधित शुल्कों/प्रभारों के भुगतान अभिप्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होगा, जो नगरपालिक निगम परिषद् अथवा सेवा प्रदाय हेतु अन्य किसी अभिकरण के नियमों तथा विनियमों के अनुसार जल प्रदाय संयोजन, मलजल निकासी संयोजन तक ही सीमित नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां आवंटित सम्पत्ति ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां मलजल निकासी सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां पट्टाधारी नगरपालिक निगम/ परिषद के नियमों तथा विनियमों के अनुसार मलजल को सुरक्षित निकासी के लिये आवश्यक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा।
5. पट्टाधारी विद्युत संयोजन की प्राप्ति तथा इससे संबंधित समस्त प्रभारों के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।
6. पट्टाधारी के लिए यह अनिवार्य होगा, कि व्ययन की गई सम्पत्ति पर यदि पट्टे की अवधि के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर में यदि पट्टाधारी द्वारा अनुज्ञेय निर्माण क्षेत्र के न्यूनतम 10 प्रतिशत पर निर्माण नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण उपरोक्त निर्माण पूर्ण होने तक रु. 100/- प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष की दर से शास्ति अधिरोपित करेगा। यदि पट्टाधारी पट्टे की अवधि प्रारंभ होने की तारीख/नियम लागू होने से 10 वर्ष की समयसीमा (जो भी बाद में हो), निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा नियम 22 के अनुसार पट्टा निरस्तीकरण के पश्चात् पुनः प्रवेश किया जाएगा।

पांच- आवंटन का अन्तरण / विक्रय

1. पंजीयन /आवंटन होने के पश्चात् 10 वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकेगा तथा वे ही हितग्राही पात्र होंगे, जिन्हें इस वर्ग का भूखण्ड पूर्व में आवंटित नहीं किया गया हो।
2. संपत्ति के आवंटन का अंतरण सम्पत्ति आवंटन तारीख से दस वर्ष की समाप्ति होने के पश्चात ही अन्तरण किया जा सकता है। आरक्षित प्रवर्ग के अधीन आवंटित की गई सम्पत्तियों के बारे में, अन्तरण, केवल ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को अनुज्ञेय किया जाएगा, जो आरक्षण के उसी प्रवर्ग के अन्तर्गत पात्रता रखता हो, उक्त सम्पत्ति को पूर्व में सुरक्षित किया गया हो। अन्तरण शुल्क का भुगतान उक्त अथवा अन्तरण की तारीख को प्रचलित लागू मार्गदर्शक दर की एक प्रतिशत की दर से, इनमें से जो भी अधिक हो, देय होगी।

छह- अन्य निबंधन तथा शर्तें

1. यदि बोली से निबंधन तथा शर्तों में तथा "मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों का प्रबंधन तथा व्ययन नियम 2018" अथवा राज्य सरकार के अन्य किन्हीं नियमों/कानूनी उपबन्धों में विसंगति उद्भूत होती है, तो अंतिम उल्लेखित उपबंध अभिभावी रहेंगे और पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगे।
2. यदि योजना के अधीन कोई विशेष निबंधन तथा शर्तों का विशदीकरण संबंधी विज्ञापन में किया गया हो, वहां बोलीकर्ता/सम्पत्ति के प्राप्तिकर्ता के लिये इन शर्तों के अलावा उपरोक्त उल्लिखित शर्तें भी बाध्यकारी होंगी।
3. निबंधन तथा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में यदि विवाद उद्भूत होता है तो विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।
4. जहां कहीं शब्द "प्राधिकरण" का उपयोग किया गया हो, वहां इसके प्रतिनिधि, नाम निर्देशिती, उत्तराधिकारी तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी सम्मिलित होंगे तथा इसी प्रकार जहां शब्द "पट्टाधारी" का उपयोग किया गया हो, वहां इसमें उसके उत्तराधिकारी का नाम भी सम्मिलित होना माना जाएगा।

दिनांक:

.....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

लागू विधि के अनुसार मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्यक् रूप से नोटरी प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रस्तुत

किया जाए

(शपथ-पत्र)

(प्राधिकरण की सम्पत्तियों (आस्तियों) के लिए विहित)

1. मैं, अभिसाक्षी शपथ पर निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ कि :-

मेरा नाम :

पिता/पति का नाम :

आयु :

मासिक/वार्षिक आय :

पूर्ण पता :

दूरभाष/मोबा. नम्बर :

2. यहकि, आवेदन के अंतर्गत दी गई समस्त जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

3. यहकि, मैंने निबंधन एवं शर्तें जिसमें नियत दर आधार पर प्राधिकरण की सम्पत्ति के व्ययन के लिए नियम सम्मिलित हैं, भली भांति समझ लिया है और जो कि मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

4. यहकि, आवेदन के अंतर्गत कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्राधिकरण को मेरा आवेदन प्रारूप रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

5. यहकि, प्राधिकरण द्वारा नियत दर के अन्तर्गत अथवा किसी आरक्षित प्रवर्ग के लिये किसी विशेष योजना के अधीन, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है पूर्व में कोई सम्पत्ति आवंटित नहीं की गई है।

6. यहकि, यह शपथ पत्र मेरे द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण से विज्ञापन क्रमांक दिनांक के तहत निर्धारित कीमत अनुसार भूखण्ड क्रय हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है तथा इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के अध्यधीन रहते हुए, प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. यह है कि मैं उक्त भूखण्ड के पंजीयन/आवंटन के पश्चात् यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 10 वर्ष तक उक्त भूखण्ड का विक्रय अथवा किसी प्रकार का हस्तान्तरित नहीं करूँगा/करूँगी।

8. यह है कि मैं यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उक्त वर्ग हेतु पंजीयन करा रहा हूँ, इसके अलावा मैंने वर्तमान तक इस वर्ग के लिये किसी भी योजना में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

यह कि मेरे द्वारा 1 लगायत 8 तक की जानकारी सत्य व सही है, असत्य पाये जाने पर मेरा पंजीयन/आवंटन स्वतः निरस्त मान्य व मुझे स्वीकार होगा। मैं इस वावत् किसी भी प्रकार का दावा नहीं करूँगा।

दिनांक :

अभिसाक्षी

: सत्यापन ::

मैं पिता/पति श्री सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है, जो आज दिनांक को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

नोट— किसी अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया शपथ-पत्र मान्य नहीं होगा।